उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24 /08/2021

क्रमांक 1569/1645/2021/38-1- डॉ. प्रदीप कुमार सुनाना, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर द्वारा महाविद्यालय में पदस्थी के दौरान निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.05.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गयी थी।

2/ डॉ. सुनाना द्वारा प्रस्तुत आवेदन शासन में विचाराधीन रहने के दौरान डॉ. सुनाना द्वारा दिनांक 07.06.2021 को आवेदन प्रस्तुत अनुरोध किया गया कि पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में सुधार होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदन निरस्त किया जाए।

3/ डॉ. प्रदीप कुमार सुनाना, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत नहीं होने से नियमानुसार राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुनाना के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी आवेदन को तत्काल प्रभाव से अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
24/08/21
(श्वेता पवार)
उप सचिव,
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 1570/1645/2021/38-1 भोपाल, दिनांक 24/08/2021.

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर-चंबल संभाग, ग्वालियर।
3. प्राचार्य (अग्रणी) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर।
4. डॉ. प्रदीप कुमार सुनाना, प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर।

24/08/21
उप सचिव,
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग